

फर्द अहकाम

बनाम

विशेष विवरण	आज्ञा या विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्र. 10/181 का निष्पत्तिगत क्षेत्र में पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तस्वीर/जवाब दिनांक 15/3/24 को पेश हो</p>	
5/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पट्ट उमर वकील पाली के लिखित बयान पेश की। लिखित बयान में लिखित बयान में पत्रावली के लिखित बयान 183 का भी लगे एक ही पत्रावली का लिखित बयान दिनांक 2/4/24 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">उमर खण्ड अवि जमदारामगढ़</p>	
2/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्र. 10/181 का निष्पत्तिगत क्षेत्र में पत्रावली का लिखित बयान दिनांक 2/4/24 को पेश हो</p>	
7/5/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उमर पट्ट उमर वकील उमर पट्ट की बयान पेश की। वकील उमर पट्ट उमर पट्ट का लिखित बयान दिनांक 7/5/24 को पेश हो</p>	

फर्द अहकाम

कारण बनाम राजेश कुमार

नाम न्यायालय

उपलब्ध अधिकारी जमशारनगर

केस संख्या

146/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>अवलोकन करने के बाद का मत करने पर पाया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में वादग्रस्त स्थिति में शीर्षक पर कदम लेना ठीक ही होगा क्योंकि लेखांकित मन्त्र वाद में विचार नहीं है। अतः प्राचीन हाल प्रकृत मामला पर अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक की प्राप्ति किन्तु पाया है। निम्नलिखित आदेश प्रदान किया जा रहा। प्रमाणों के मूल्य पर ध्यान रखते हुए कि यह है तब वाद स्थिति को ध्यान में रखते हुए।</p>



उप सचिव अधिकारी
जमशारनगर